[1]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी–श्री गंगाधर मीणा (RAS)

मुकदमा संख्या	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
233 / 2020	08.12.2020	28.02.2021

अनुवान

1. कृष्ण कुमार
2. मनोहरलाल
3. मेहरचन्द पुत्रान रामपत यादव
4. सन्तोष पुत्री रामपत यादव
5. शान्ति बैवा रामपत यादव जाति अहीर निवासी गुणसार तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)

वादीगण

बनाम

1. महेन्द्र
2. दीनदयाल
3. धर्मपाल
4. मुकेश पुत्रान गोपाल
5. लक्ष्मी पुत्री गोपाल जाति अहीर निवासी ग्राम गुणसार तहसील कोटकासिम जिला अलवर
6. राज.. सरकार जरिये तहसीलदार साहब कोटकासिम जिला अलवर (राज0)
7. पंजाब नेशनल बैंक शाखा ईसरोदा जरिये शाखा प्रबन्धक महोदय पंजाब नेशनल बैंक शाखा ईसरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
8. पंजाब नेशनल बैंक शाखा पुर जरिये शाखा प्रबन्धक महोदय पंजाब नेशनल बैंक शाखा ईसरोदा तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)
9. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बीबीरानी जरिये शाखा प्रबन्धक महोदय बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बीबीरानी तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)
10. मोबाईल टावर कम्पनी जरिये प्रबन्धक महोदय मोबाईल टावर कम्पनी।

अप्रार्थीगण / असल प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम

आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा0दी0

उपस्थित

1. श्री शीतल प्रसाद चौधरी अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री सुनील यादव अभिभाषक अप्रार्थीगण 1 लगा0 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:36:38 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण ने इस न्यायालय मे उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा0दी0 इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 922 रकबा 0.0632 है0 ग्राम गुणसार तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 में स्थित है जो कि आगे वाद में विवादित आराजी के नाम से जानी जावेगी वास्ते मुलाहिजा नकल जामबन्दी सम्वत 2076–2079 संलग्न वाद पत्र है। उपरोक्त विवादित आराजी हम वादी प्रतिवादी व तरतीबी प्रतिवादी तथा असल प्रतिवादी संख्या 1 ल0 5 की

महोदय

सामलाती कब्जा काश्त खातेदारी की अबट आराजी है जिस पर हम शामलात में ही काबिज होकर काश्त कर रहे है। मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादी का विवादित आराजी के प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त है सामालती आराजी अबट है। जिसका अभी तक कोई खाता कायम नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण संख्या 1 ल0 5 व असल प्रतिवादी संख्या 10 मोबाईल टावर कम्पनी के मैनजेर से साज बाज होकर वादीगण की अबट आराजी पर मोबाईल टावर लगवाने के लिये फर्जी सहमति पत्र तैयार कर प्रतिवादी संख्या 1 ल0 5 ने प्रतिवादी संख्या 10 के पक्ष में सहमति पत्र लिखकर दिया है। जिसमें हम वादीगण शान्ति बैवा, कृष्ण कुमार, मेहरचन्द, मनोहरलाल पुत्र, सन्तोष पुत्री रामपत के फर्जी अंगूठा दस्तखत कर फर्जी सहमति पत्र कम्पनी को दिया है तथा कम्पनी ने फर्जी डोक्यूमेन्ट के आधार पर मेरी आराजी को प्रतिवादी 1 ल0 5 ने प्रतिवादी संख्या 10 के पक्ष में फर्जी सहमति पत्र के आधार पर टावर निमार्ण का कार्य कर रही है। जिनको ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार हासिल नही है। दिनांक 5–12–2020 को असल प्रतिवादी संख्या 10 ने असल प्रतिवादी संख्या 1 ल० 5 से साज बाज होकर मिन वादीगण की व तरतीबी प्रतिवादी की सामलाती कब्जा काश्त की आराजी में जबरन नीव आदि खोदकर निमार्ण कार्य शुरू कर दिया। जब मिन वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से ऐसा करने से मना किया तो प्रतिवादीगण असल मिन वादीगण के साथ आमादा फिसाद हुये तथा फर्जी सहमति पत्र के आधार पर मिन वादीगण को सामलाती कब्जा काश्त की आराजी से जबरन बेदखल कर आराजी में टावर निमार्ण करने की ऐलानिया तौर पर धमकी दी है कि यदि प्रतिवादीगण अपने बेजा मन्सूबों में कामयाब हो गये तो मिन वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी को अपने सामलाती कब्जा काश्त की आराजी के अधिकारों से महरूम होना पड़ जावेगा मिन वादीगण के अधिकार कानून द्वारा रक्षित है इसलिये अपने अधिकारों की रक्षार्थ मिन वादीगण उपरोक्त विवादित आराजी को कानूनी रूप से दर्ज हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमाबंदीयात अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउन्डस तकसीम करवाकर पक्षकारान के अलहेदा अलहेदा खाते कायम करवाकर कुरेजात करवाने के अधिकारी है अतः दावा तकासमा आराजी पेश करना लाजिम आया है। दिनांक 5–12–2020 को असल प्रतिवादी संख्या 10 के असल प्रतिवादी संख्या 1 ल0 5 से साज आज होकर मिन वादीगण की व तरतीबी प्रतिवादी की सामलाती कब्जा काश्त की आराजी मे जबरन नींव आदी खोदकर निमार्ण कार्य शुरू कर दिया जब मिन वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से ऐसा करने से मना किया तो प्रतिवादीगण असल मिन वादीगण के साथ आमादा फिसाद हुये तथा फर्जी सहमति पत्र के आधार पर मिन वादीगण को सामलाती कब्जा काश्त की आराजी से जबरन बेदखल कर आराजी में टावर निमार्ण करने की ऐलानिया तौर पर धमकी दी है कि यदि प्रतिवादीगण अपने बेजा मन्सूबो में कामयाब हो गये तो मिन वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी को अपने सामलाती कब्जा काश्त की आराजी के अधिकारों से महरूम होना पड जावेगा मिन वादीगण के अधिकार कानून द्वारा रक्षित है सुविधा का संतुलन व नापूर्तिनिय क्षति बहक वादीगण ही है इसलिये अपने अधिकारों की रक्षार्थ वादीगण प्रतिवादीगण असल को जरिये हुक्म ईम्तनाई चन्दरोजा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पेश कर अर्ज है कि अप्रार्थीगण/ असल प्रतिवादीगण के जरिये हुक्म ईम्तनाई चन्दारोजा से इस अमर से पाबन्ध किया जावे कि सामलाती कब्जा काश्त खातेदारी की है आराजी खं0 सं० 922 रकबा 0.0632 है0 ग्राम गुणसार तह० कोटकासिम जिला अलवर राज0 के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग आराजी वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण में असल प्रतिवादी संख्या 1 ल0 5 व 10 मजाहमत मदाखलत पैदा ना करे, आराजी को जोतने बोने फसल काटने समेटने मे रूकाटव बाधा पैदा ना करे, विवादित आराजी को बिना तकसीम कराये दीगर जगह खुर्द बुर्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:36:38 IST
Reason: SelfAttested

मुन्तकिल ना करे, विवादित आराजी को बिना कानूनी रूप से तकसीम कराये आराजी के किसी भी जुज में नीवं आदि खोदकर टावर का निमार्ण ना करे, राजस्व रिकार्ड एवं मौका की यथावत स्थिती कायम रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 7,8,9,10 की तामील जरिये रजिस्टर्ड हो चुकी है। बावजूद सूचना उपस्थिति नही इसलिए इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 उपस्थित इनकी ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसमें अंकित किया कि प्रार्थी ने जो वाद दायर किया है वह मिथ्या तथ्यों तथा अधूरे खसरा नम्बरान का पेश किया है। प्रार्थी ने अपना मिथ्यावाद पत्र, मिथ्या शपथ पत्र फर्जी व नुमायशी दस्तावेजात पेश कर किया है। प्रार्थीगण का वाद किसी भी प्रकार से पाई प्राईमाफेसाई आयद वो साबित नही होता है। प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है। उक्त आराजी के अलावा खाता संख्या 58 में दर्ज अन्य खसरा नम्बरान भी है। समस्त नम्बरान का वाद प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा पेश नही किया गया है। उक्त आराजी अप्रार्थी प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र के बाहमी बटवारे हक हिस्से में है। वक्त बाहमी बटवारा से ही प्रतिवादी शांन्ति पूर्वक काबिज व दाखिल होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा वादीगण ने अपने बाहमी बटवारे में आये खसरा नम्बरान में अपनी आराजी की सिंचाई हेतु बोरिंग की हुई है। अपने मकानात बनाये हुए है। मोबाईल टावर समस्त हिस्सेदारान की सहमति से लगाया जा रहा है। प्रार्थीगण/वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 से दिलिय रंजिस रखते है तथा प्रतिवादी/अप्रार्थी के बाहमी बटवारे में आये उक्त खसरा नम्बर 922 का उपयोग उपभोग करने में बेजा रूप से बाधा व नुकसान पहुचाना चाहते है। यदि प्रार्थीगण/वादीगण तकासमा ही करवाना चाहते थे तो नेकनियति से खाता में दर्ज समस्त नम्बरान को भी दावा हाजामें दर्ज करते लेकन प्रार्थीगण/वादीगण की समस्त कार्यवाही बराय रंजिश अप्रार्थीगण/प्रतिवादी को बेजा तोर पर नुकसान पहुचाने की है। बाहमी बटवारा हुए करीब 30 वर्ष हो चुके है। एक खसरा नम्बर का तकासमा नही हो सकता है। ऐसी सुरत में प्रार्थीगण कोई रिलीफ नही पा सकते है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहुस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और कहा कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 922/0.0632 है0 ग्राम गुणसार प्रार्थीगण एवं असल अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 की सामलाती कब्जा काश्त खातेदारी की अबट आराजी है। जिस पर सामलात में काबिज होकर काश्त कर रहे है। मिन प्रार्थीगण/वादीगण व प्रतिवादीगण का विवादित आराजी के प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त है। सामलाती आराजी है अबट है। जिसका अभी तक कोई खाता कायम नहीं हुआ है। असल प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 व असल अप्रार्थी संख्या 10 मोबाईल टावर कम्पनी के मैनेजर से साजबाज होकर प्रार्थीगण की अबट आराजी पर मोबाईल टावर लगाने के लिए फर्जी सहमति पत्र तैयार कर अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 के अप्रार्थी संख्या 10 के पक्ष में सहमति पत्र लिख दे दिया जिसमें हम प्रार्थीगण शक्ति बेवा, कृष्ण कुमार, मेहरचन्द, मनोहरलाल पुत्र संतोष पुत्री रामफल ने फर्जी अंगूठा दस्तखत करके फर्जी सहमति पत्र कम्पनी को दे दिया तथा कम्पनी ने फर्जी डोक्यूमैन्ट के आधार पर मेरी आराजी को अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 ने अप्रार्थी संख्या 10 के पक्ष में फर्जी सहमति पत्र के आधार पर टावर निर्माण का कार्य कर रही है। इसलिए असल अप्रार्थीगण को हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबन्द किया जावे। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने ए0आई0आर0 2017 पेज 83 की नजीर पेश की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:36:38 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 का कथन है कि पेश शुदावाद गलत तथ्यों के आधार पर मेरा किया गया है। वाद विभाजन का दायर किया है लेकिन खाता संख्या 58 में और भी नम्बरान है। सभी नम्बरान पर विभाजन का वाद नही किया गया है। एक ही नम्बर का वाद किया गया है। उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 महेन्द्र को बाहमी बटवारा में आई हुई है। उक्त बाहमी बटवारा से ही अप्रार्थी शान्ति पूर्वक काबिज व दाखिल होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थीगण/वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को परेशान करने की नियत से यह वाद दायर किया है। अप्रार्थीगण की समस्त कार्यवाही बराय रजिंश अप्रार्थीगण को बैजा नुकसान पहूंचाने की। ऐसी सुरत मे प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है क्योकि खाता संख्या 58 में अन्य आराजीयात का आपस मे बाहमी बंटवारा अरसा दराज करीब 30 वर्ष हो चुका है। जिसके अनुसार उक्त आराजी खसरा नम्बर 922 प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र के बाहमी बंटवारा के हक हिस्से मे आई हुई है। जिससे वो शान्ति पूर्वक अपने हिस्से पर काबिज व दाखिल है। अगर प्रार्थीगण/वादीगण को तकासमा ही कराना था तो वह खाता संख्या के पूर्ण खसरा नम्बरान पर वाद दायर कराना चाहिये था। जिससे ये साबित होता है कि यह वाद बदनियती से पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 के अधिवक्ता ने आर0आर0टी0 2011–12 पेज 192, आर0आर0टी0 2011–12 (सपली.) पेज 217, आर0आर0टी0 2015 (1) पेज 562, आर0आर0टी0 2015 (1) पेज 633, उच्च न्यायालय का निर्णय की प्रति पेश कर अपनी दलील दी।

विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात अवलोकन किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता का कथन है कि विवादित खसरा नम्बर 922 अबट आराजी है। विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 ने असल अप्रार्थी संख्या 10 से साजबाज होकर मोबाईल टावर के मैनेजर से साजबाज होकर प्रार्थीगण की अबट आराजी पर फर्जी सहमति पत्र तैयार कर दे दिया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायात 5 के अधिवक्ता का कथन है कि पेश शुदा वार गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। खाता संख्या 58 मं और भी नम्बरान है लेकिन वाद विभाजन का एक ही नम्बर को पेश किया गया है। वादी द्वारा वाद शुद्ध हस्त होकर पेश नही किया गया है। प्रार्थीगण/अप्रार्थीगण अधिवक्ता की दलील पेश की गई नजीर के अवलोकन से प्रार्थीगण अधिवक्ता का प्रार्थना पत्र प्राईमाफेसाई साबित नही होता है जबकि खसरा संख्या 58 में ओर भी नम्बरान है। इसलिए अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायात 5 के अधिवक्ता द्वारा दी गई दलील से हम सहमत है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम आदेष 39 नियम 1 व 2 सम्बन्धित धारा 151 आ.दी. खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2021 को टंकित किए जाकर इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:36:38 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)